न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुश्री प्रिंयका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :—158 / 2013

देवीलाल पुत्र श्री मनफुल राम जाति जाट साकिन ढांबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
---वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसील राजस्व अनूपगढ
2. हनुमान पुत्र श्री नत्थु राम नाई साकिन ढांबा तहसील अनूपगढ
3. पृथ्वीराज पुत्र श्री नत्थुराम

---प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी.

उपस्थित—

1. श्री नरेन्द्र चुघ एडवोकेट — वादी की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ — प्रतिवादी संख्या—3 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक—27—12—2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं—3 पृथ्वीराज की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम से आवंटन आदेश जारी करते समय खसरा नम्बर 93 के स्थान पर आवंटन आदेश में खसरा नम्बर 23 का अंकन हो गया है यानि वादी के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 23 का आवंटन आदेश जारी किया गया है एवं वादी को खसरा नम्बर 93 के 20 बीधा का कृषक घोषित किया जावे एवं आवंटित रकबा के रिकॉर्ड में दुरूस्ती करते हुये खसरा नम्बर 23 के स्थान पर खसरा नम्बर 93 अंकित किए जाने के आदेश दिए जावें। वादी को उक्त आवंटन आदेश राज. उपनिवेशन इ.गा.न.प.(आवंटन एवं विक्रय) आदेश 1975 के प्रावधान के तहत जारी किया गया है इस आवंटन नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आवंटन अधिकारों के किसी आदेश से 30 दिनों के भीतर अपील प्रस्तुंत कर सकता है। वादी द्वारा आवंटन नियमों के तहत अपील पेश करने के बजाय वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है जिस कारण वादी का वाद पत्र स्पष्टतया विधि वर्जित है तथा माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई कर वांछित अनुतोश प्रदत करने के श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल निरस्ती के है। वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर काबिल खारिजी का है। वादी द्वारा पेश वादपत्र इसी स्टेज पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का आवंटन नियमानुसार किया गया है तथा मौका [illegible] कब्जा काश्त भी वादी को दिया गया है। खसरा सं.—93 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से 23 अंकित हो गया है प्रार्थी उक्त आवंटन से किसी प्रकार से व्यथित नहीं है। केवल भूलसुधार करवा [illegible] दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी पृथ्वीराज के विरूद्ध वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है ना ही वाद पत्र में उक्त रकबा में प्रार्थी पृथ्वीराज की कृषि भूमि बाबत कोई अधिकार की कटौति होनी है। प्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश—1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Ta
Date: 2023.01.16 16:27:11 IST
Reason: SelfAttested

माननीय अदालत से निवेदन किया गया था कि मुझे पक्षकार बनाया जावें व मुझे भी सुना जावे। माननीय अदालत द्वारा प्रतिरक्षा हेतु प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया था। प्रार्थी पृथ्वीराज वादी के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है। वाद पत्र किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है तथा उक्त वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि खसरा नं.–93 में प्रार्थी पृथ्वीराज, प्रतिवादी हनुमान व वादी की कृषि भूमि है। प्रार्थी पृथ्वीराज अपनी आवंटित कृषि भूमि पर काबिज है। उक्त वाद पत्र के तथ्य विधि के प्रश्न मिश्रित है जिनका निस्तारण जवाब दावा आने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात ही निर्णित हो जाऐगा। इस अवस्था मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील वादी द्वारा निम्न न्याायिक दृष्टांतों प्रस्तुत किये गये।

1. 2022(1) डीएनजे (Rev)–818
2. 2022(1) डीएनजे (Rev)–16
3. 2022(1) डीएनजे (Rev)–1324
4. 2022(1) डीएनजे (Rev)–818
5. 2022 Live Law(SC)–963

बहस पक्षकारान की सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा बहस में उठाये गये बिन्दुओं पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी सं.–03 ने हस्तगत वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है।

वकील वादी ने अपने जवाब वादपत्र में कहा कि वाद पत्र खसरा सं.–93 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से 23 अंकित हो गया है, वादी उक्त आवंटन से किसी प्रकार से व्यथित नहीं है। केवल भूलसुधार करवाने के लिए केवल दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसकी सत्यतता बाबत् श्रीमान् न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों की साक्ष्य आने के उपरांत ही विनिश्चय किया जा सकता है।

न्यायालय की राय में प्रतिवादी सं.–03 ने जिन उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थना पत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है, वे बिन्दु विधि एवं तथ्यों से मिश्रित है, वादी ने दुरूस्ती हेतु वाद–पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का अनुतोष चाहा वादी के वाद–पत्र के अभिवचनों से वाद–पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित नही पाया गया इसलिए प्रकरण की इस स्टेज पर वाद खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। फलतः वाद में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नही होने के कारण वाद किसी भी तरह से विधि द्वारा वर्जित नही है।

::आदेश::

अतः प्रतिवादी सं.–3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. संहिता एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–27.12.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Priyanka
Date: 2023.01.16 16:27:11
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़